Standard Operating Procedure (SOP) regarding settlement of pre-litigation matrimonial and marital disputes/cases

In view of the increasing number of matrimonial disputes in the Indian society, it seems that the institution of marriage and family is in trouble.

For the past several years, it is being seen that a large number of matrimonial and conjugal disputes are being filed in the family courts, which are not being resolved in a time bound manner. Keeping in view the large number of pending cases in the family courts, the Hon'ble Committee for "Sensitization of Family Court Matters" has taken important initiative to settle the marital disputes at the pre-litigation stage itself. The above said matrimonial cases are also being identified and disposed of at the pre-litigation level for the last several National Lok Adalats.

As per guidelines of Honorable the Committee, this Standard Operating Procedure (SOP) has been prepared for disposal of maximum number of matrimonial disputes. In relation to the settlement of maximum number of pre-litigation matrimonial and conjugal disputes / cases, the following activities are required to be done by each District Legal Services Authority in coordination with the Presiding officers of the Family Court.

1- Publicity

- The Secretary, District Legal Services Authority will also include this topic in awareness camps to make aware the general public about the organization of Special Lok Adalats for settlement of matrimonial / marital disputes at the pre-litigation stage and make it a part of the awareness campaign.
- Settlement of Matrimonial / Conjugal disputes at pre-litigation stage will include in the Annual Plan of Action.
- For proper publicity, all the DLSAs have been directed to publish a large number of banners/posters/pamphlets/stickers and ensure to get them pasted /distributed in District Courts, Collectorate, Tehsils, Gram Panchayats, Bus Stands, Railway Stations, Post Office, Hospitals, Police Stations, Public Suvidha Kendras etc.. The phone numbers of the Secretaries & Para Legal Volunteers of the concerned District Legal Services Authority will also mentioned on the said publicity material.
- Flax Boards displaying "Settlement of Matrimonial Disputes at Pre-litigation Stage"will also be installed outside the office of District Legal Services Authority.
- To make aware the general public regarding importance and benefits of Pre-litigation in Special Lok Adalats, cooperation of district administration such as S.D.Ms, Tehsildar, Lekhpal and Gram Panchayat for wide publicity should be required.
- For wide publicity of these Lok Adalads, services of Ashabahus and Anganbadi workers should be required. Awareness programmes should also be organized by way of Gram Pradhans, Block Pramuks etc.
- Advertisements should also be made on TV, radio and social media at the local level for the promotion of special Lok Adalats.
- At least three days before the Lok Adalat, in the national newspapers of Hindi and English, along with the types of cases to be fixed in the Lok Adalats, it should be published separately in clear words that the resolution of matrimonial disputes in the said Lok Adalat Conciliation at the pre-litigation level is done through agreement.

2- PROCEDURE FOR RECEIVING APPLICATION

- Help Desk / KIOSK should be established in the family court premises or near it, in which a register should be maintained by appointing Para legal Volunteer (PLV). In these registers, PLVs were register applications related to marital disputes at the pre-litigation level and get them received in the office of the District Legal Services Authority. the general public will

also be informed about the benefits of pre-litigation, mediation and Lok Adalat through the help desk.

- Such applications should also be obtained in the District Legal Services Authority and Font Office.
- Police stations, especially women police stations, should be requested through senior police officers that if any matrimonial dispute comes before them, then before taking any action on it, refer those disputes to the District Legal Services Authority.
- Private counseling centers and non-government voluntary organizations should be associated with this campaign and they should be made aware that if any marital dispute comes from them, then send it to the District Legal Services Authority for settlement at the pre-litigation level itself.
- Boxes should be installed in Gram Panchayat buildings and legal aid clinics, in which people can settle their matrimonial disputes in Special Lok Adalat. PLVs residing in that area should be appointed to take out the above applications regularly and send them to the office of the District Legal Services Authority.
- All the applications received through the above means should be registered with the District Legal Services Authority and the Secretary; District Legal Services Authority will get list prepared.

3- <u>Service of notice</u>

- The service of notice will be ensured by the Secretary, District Legal Services Authority on the parties mentioned in the applications received. The service of notice can be done under the provision mentioned in the Code of Civil Procedure, through process carrier or registered post, police of the concerned police station, summon cell for non-districts and e-mail, WhatsApp, courier and other means.
- The Principal Judge, Family Court, after establishing coordination with the District Magistrate and the Superintendent of Police, will appoint a police officer of the jurisdictional level as the nodal officer for the service of the notice, who will provide his cooperation to the parties to remove the obstacles in the service of the notice. .
- Notice on the parties, residing in non-district or non-state, in order to get the service done through the summons cell, instructions should be issued from the Chief Judicial Magistrate to the In-charge summons cell.

4. <u>Constitution of Benches for settlement of the said disputes in Lok Adalat.</u>

- One member of the Bench shall be the Judge of the Family Court and arbitral advocate shall be kept as a other member.
- Efforts will be made to settle the matrimonial disputes on the basis of settlement through pre-sittings by the two member benches, so constituted.
- There will be continuous meetings of such benches. The bench will fix the date and time of the meetings as per its convenience depending on the number of applications.
- All the applications received before the District Legal Services Authority will be presented before the benches.
- Whatever settlement will be decided by the benches, the terms of the agreement will be written down and the said agreement will be arranged and kept, on the basis of which the award will be passed in the next Lok Adalat.
- Under Section 21 of the Legal Services Authority Act, 1987 shall be like a decree passed by Civil Court and shall have binding effect on the parties an no appeal against it shall be maintainable in any court.
- According to Rule-12(3) of the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Regulations, 2009, the award passed on the basis of settlement in pre-litigation cases is only for violation of the procedure described in section 20 of the Legal Services Authority Act, 1987. It can be challenged under Articles 226 and 227 of the Constitution.

- As per Rule 12(1) of the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Regulations 2009, the jurisdiction of the court for disposal of pre-litigation cases in Lok Adalat and the pre-litigation cases are to be referred to Lok Adalats as per sub rule (2). Before doing so, it should be ensured that the adequate opportunity of has been given to the parties to be heard.
- In Rule 17 the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Regulations, 2009 , it has been directed that award writing is only an Administrative act in which the parties under the guidance of Lok Adalat.
- Every agreement passed by the Lok Adalat should be clearly marked in the regional language or in English, in which the names of the parties, the name of the court, the proposed date of application/suit the register number and the date should be clearly marked.
- The terms of the agreement entered into are recorded. Every settlement passed by the Lok Adalat should be clearly written in the regional language or in English, containing the names of the parties, the name of the court, the application/proposal of the suit.
- It should be ensured by the members of the Lok Adalat / Benches that the parties have signed the agreement after fully comprehending the terms of the treaty and it should also be ensured that:
  (A) the terms of the treaty are reasonable , not against the law and not one sided.
  (B) It should also be ensured that the parties have accepted the agreement voluntarily and that they have not been subjected to any kind of pressure, threat or undue influence.
- The members of the Bench should sign the same agreement which has been accepted by the parties before the Bench. No agreement should be accepted and signed by the Bench which is not accepted by the parties before the Lok Adalat/Bench.
- Thus, following the legal provisions in the light of Section 20 and 21 of the Legal Services Authority Act, 1987 and Section 12 and 17 of the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Act, 2009, as above, settlement of marital disputes at the pre-litigation level. For this the respective award should be passed in the procedure for hearing of applications by Benches.

5. Procedure for hearing of Applications by the Benches

- The provisions mentioned in the Legal Services Authorities Act, 1987, The National Legal Services Authority (Lok Adalat) Act, 2009 and the Family Court Act, 1984 will be thoroughly studied and followed for hearing as for as possible by the Benches.
- The process of settlement by conciliation will be done in the presence of both the parties by fixing the dates of sufficient number of pre sittings by the benches.
- Adequate time will be given to the parties in the process of conciliation by the benches and no unnecessary pressure will be put on the parties to settle at the earliest.

6. Necessary instructions regarding the decision/award to be passed by the Benches on the basis of conciliation agreement

- Necessary instructions regarding the award / The conciliation filed by the parties should not contain any condition which is impracticable and the compliance of which is doubtful in future.
- The decision should be passed only when the conditions mentioned in the conciliation are clear, reasonable and in accordance with the provisions of law.
- The terms of the conciliation agreed by both the parties were mentioned in the decision and mentioned that conciliation should be made part of the decision.

7. Maintenance and Protection of Records

- The maintenance of records related to disputes / cases settled in Lok Adalat at the pre-litigation level will be done by the District Legal Services Authority as per the provisions mentioned in the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Act, 2009.

प्री–लिटिगेशन वैवाहिक एवं दाम्पत्य विवादों/मामलों के निस्तारण के संबंध में मानक संचालन प्रकिया (SOP)

भारतीय समाज में दाम्पत्य संबंधी विवादों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह प्रतीत हो रहा है कि विवाह एवं परिवार नाम की संस्था संकट में है।

विगत कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि पारिवारिक न्यायालयों में वैवाहिक एवं दाम्पत्य संबंधी विवाद अत्यधिक संख्या में दायर हो रहे हैं, जिनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जा पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। पारिवारिक न्यायालयों में अत्यधिक संख्या में लम्बित वादों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की "Sensitization of Family Court Matters" हेतु गठित माननीय समिति के द्वारा दाम्पत्य संबंधी विवादों को प्री–लिटीगेशन के स्तर पर ही निस्तारित किये जाने हेतु महत्वपूर्ण पहल की है। विगत कई राष्ट्रीय लोक अदालतों में इस प्रकार के दाम्पत्य संबंधी उपरोक्त मामलों को भी चिन्हित करके उनका प्री–लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण किया जा रहा है।

माननीय समिति के दिशा–निर्देश पर उपरोक्त मामलों के अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण के लिये यह मानक संचालन प्रकिया (SOP) तैयार की गयी है। प्री–लिटिगेशन वैवाहिक एवं दाम्पत्य विवादों/मामलों के अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण के संबंध में प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण से सामन्जस्य स्थापित करके निम्नलिखित कार्य कलाप किया जाना अपेक्षित है–

1. **प्रचार–प्रसार**

- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्री–लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक/दाम्पत्य विवादों के निस्तारण के लिये विशेष लोक अदालतों के आयोजन की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराने के लिये जागरूकता शिविरों में इस विषय को भी सम्मिलित करेंगे और इसे जागरूकता अभियान का हिस्सा बनायेंगे।
- वार्षिक एक्शन प्लान में प्री–लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक/दाम्पत्य विवादों के निस्तारण विषय को भी शामिल किया जायेगा।
- विभिन्न परिसरों जैसे– जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, तहसील, ग्राम पंचायत, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पोस्ट आफिस, अस्पताल, थाना, जन सुविधा केन्द्र आदि परिसरों में बड़े आकार के बैनर/पोस्टर/पैम्फलेट्स छपवाकर उन्हें चस्पा/वितरित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा स्टीकर छपवाकर बसों एवं ट्रेनों में चस्पा कराया जाय। उक्त प्रचार सामग्री पर अनिवार्य रूप से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं इस संबंध में नियुक्त किये गये पराविधिक स्वयं सेवकों के फोन नम्बर भी अंकित किये जायेंगे।
- सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर फ्लैक्स बोर्ड लगवाकर उसमें स्पष्ट शब्दों में यह भी लिखवाया जायेगा कि इस कार्यालय में प्री–लिटिगेशन स्तर के वैवाहिक विवादों के समाधान का कार्य भी किया जाता है।
- जिला प्रशासन के सहयोग से उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी इत्यादि के माध्यम से भी सामान्य जन के मध्य उक्त लोक अदालतों का वृहद प्रचार–प्रसार कराया जाये।
- ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा बहुओं इत्यादि की भी सेवायें ली जायेंगी। इसके अतिरिक्त पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख इत्यादि के माध्यम से भी जागरूकता कर्यक्रम चलाया जाये।
- विशेष लोक अदालतों के प्रचार–प्रसार के लिये स्थानीय स्तर पर टी0वी0, रेडियो एवं सोशल मीडिया पर भी विज्ञापन प्रसारित करवाया जाये।

- लोक अदालत के कम से कम तीन दिन पूर्व से हिन्दी व अंग्रेजी के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लोक अदालतों में नियत किये जाने वाले वादों के प्रकार के साथ–साथ यह अलग से स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित करवाया जाय कि उक्त लोक अदालत में वैवाहिक विवादों का समाधान प्री–लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के माध्यम से कराया जाता है।
- दाम्पत्य विवादों को प्री–लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण कराने के इस अभियान के प्रचार–प्रसार एवं प्रार्थना–पत्र प्राप्त करके उन प्रार्थना–पत्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय तक पहुॅचाने हेतु पराविधिक स्वयं सेवकगण को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाये।

2. <u>प्रार्थना–पत्र प्राप्त करने की प्रकिया</u>

- परिवार न्यायालय प्रांगण अथवा इसके निकट उचित स्थान पर हेल्प डेस्क/KIOSK स्थापित किये जायें, जिसमें पराविधिक स्वयं सेवक (PLV) को नियुक्त करके एक पंजिका व्यवस्थित की जाये। जिसमें वे प्री–लिटिगेशन स्तर पर दाम्पत्य विवादों से संबंधित प्रार्थना–पत्र पंजीकृत करके उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त करायें। हेल्प डेस्क के माध्यम से भी जन सामान्य को प्री–लिटिगेशन, मध्यस्थता एवं लोक अदालत के लाभ की जानकारी दी जायेगी।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं फ्रन्ट आफिस में भी ऐसे प्रार्थना–पत्र प्राप्त किये जाये।
- पुलिस थानों, विशेषकर महिला थानों, से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से यह अनुरोध किया जाये कि यदि उनके समक्ष दाम्पत्य संबंधी कोई विवाद आता है तो उस पर कोई कार्यवाही करने से पूर्व उन विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संदर्भित करें।
- प्राईवेट काउन्सलिंग केन्द्रों एवं गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं को इस मुहिम से जोड़ा जाये और उनको जागरूक किया जाय कि यदि उनके द्वारा कोई दाम्पत्य संबंधी विवाद का मामला आता है तो उसे प्री–लिटिगेशन स्तर पर ही निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें।
- ग्राम पंचायत भवनों, एवं लीगल एड क्लीनिक में पेटिका (Box) लगवाये जायें जिसमें लोग दाम्पत्य विवादों को लोक अदालत में निस्तारित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र डाल सकें। उक्त प्रार्थना–पत्रों को नियमित रूप से निकाल कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय तक पहुॅचाने हेतु उस क्षेत्र में निवास करने वाले पी0एल0वी0 को नियुक्त किया जाये।
- उपरोक्त माध्यमों से प्राप्त सभी प्रार्थना–पत्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पंजीकृत कराया जाये और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसकी सूची तैयार करवायेंगे।

3. <u>नोटिस की तामीली</u>

- प्राप्त आवेदन–पत्रों में वर्णित पक्षकारों पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नोटिस की तामीली सुनिश्चित करायी जायेगी। नोटिस की तामीली सिविल प्रकिया संहिता में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत आदेशिका वाहक अथवा पंजीकृत डाक, संबंधित थाने की पुलिस, गैर जिलों के लिये सम्मन सेल एवं ई–मेल, व्हाट्सऐप, कोरियर व अन्य माध्यमों से भी करायी जा सकती है।
- पक्षकारों को उपस्थित होने के लिये जारी की गयी नोटिस में संबंधित पीठ के अधिकारी/मध्यस्थ का नाम एवं प्री–सिटिंग्स की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी।
- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय मासिक बैठक में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से सामन्जस्य स्थापित करके नोटिस की तामीली हेतु

क्षेत्राधिकारी स्तर के पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करायेंगे, जो पक्षकारों पर नोटिस की तामीली में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

- गैर जनपद अथवा गैर राज्य में निवास करने वाले पक्षकारों पर नोटिस की तामीली सम्मन सेल के माध्यम से कराये जाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रभारी सम्मन सेल को निर्देश जारी कराया जाय।

4. **लोक अदालत में उक्त विवादों के निस्तारण के लिये पीठों का गठन**

- पीठ में एक सदस्य परिवार न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और दूसरे सदस्य के रूप में प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता को रखा जायेगा।
- इस प्रकार गठित दो सदस्यीय पीठों के द्वारा प्री–सिटिंग्स के माध्यम से दाम्पत्य विवादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा।
- इस प्रकार की पीठों की सतत् बैठकें होती रहेंगी। पीठें कार्य एवं प्रार्थना–पत्रों की संख्या के आधार पर अपनी सुविधानुसार बैठकों की तिथि एवं समय नियत करेंगी। इस प्रकार की एक या दो बैठक प्रत्येक सप्ताह में आवश्यकता एवं कार्य के अनुरूप होंगी।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष जितने भी प्रार्थना–पत्र प्राप्त होंगे उन समस्त प्रार्थना–पत्रों को पीठों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- पीठों द्वारा जो भी समझौता तय किया जायेगा उसे समझौते की शर्तो को लेखबद्ध कर लिया जायेगा तथा उक्त समझौता/संधिपत्र को सत्यापित करके रख लिया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी लोक अदालत में एवार्ड पारित कर दिया जायेगा।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–21 के अन्तर्गत किसी भी लोक अदालत द्वारा पारित एवार्ड सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री की भॉति होगा तथा इसका पक्षकारों पर बन्धनकारी प्रभाव होगा और इसके विरूद्ध कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में संधार्य नहीं होगा।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के नियम–12 (3) के अनुसार प्री–लिटिगेशन मामलों में समझौते के आधार पर पारित एवार्ड को मात्र विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–20 में वर्णित प्रक्रिया के उल्लंघन पर ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अन्तर्गत चुनौती दी जा सकती है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के नियम–12 (1) के अनुसार प्री–लिटिगेशन मामलों के लोक अदालत में निस्तारण हेतु न्यायालय का क्षेत्रिक क्षेत्राधिकार होना चाहिए तथा उप नियम (2) के अनुसार प्री–लिटिगेशन मामलों को लोक अदालतों में संदर्भित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया हो।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के नियम–17 में यह प्राविधानित किया गया है कि एवार्ड लेखन मात्र एक प्रशासकीय कृत्य है, जिसमें पक्षकारों द्वारा लोक अदालत के मार्गदर्शन में किये गये समझौते की शर्तो को अंकित किया जाता है।
- लोक अदालत द्वारा पारित किया गया प्रत्येक समझौता सुस्पष्ट एवं क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी में अंकित किया जाना चाहिए, जिसमें पक्षकारों के नाम, न्यायालय का नाम, प्रर्थना–पत्र/वाद की प्रस्तावित तिथि, रजिस्टर संख्या एवं तिथि का स्पष्ट अंकन होना चाहिए।
- लोक अदालत/पीठों के सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पक्षकारों ने संधिपत्र की शर्तो को पूरी तरह से समक्ष कर ही उस पर हस्ताक्षर किये हैं तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि –

(A) संधिपत्र की शर्तें युक्ति–युक्त हैं तथा वह किसी विधि के विरोध मे न हों और एक पक्षीय भी न हों।

(B) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पक्षकारों द्वारा स्वेच्छापूर्ण ढंग से संधिपत्र को स्वीकार किया है तथा उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी अथवा असम्यक असर या प्रयोग नहीं किया गया है।

- पीठ के सदस्यों को उसी संधिपत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए जिसको पक्षकारों द्वारा पीठ के समक्ष स्वीकार किया गया हो। किसी भी ऐसे संधिपत्र को पीठ द्वारा स्वीकार नहीं करना चाहिए तथा उस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए जो कि लोक अदालत/पीठ के समक्ष पक्षकारों द्वारा स्वीकार न किया गया हो।
- इस प्रकार उपरोक्तानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–20 एवं 21 व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के नियम 12 एवं 17 के प्रकाश में विधिक उपबन्धों का पालन करते हुए दाम्पत्य विवादों के प्री–लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण हेतु संबंधित एवार्ड लोक अदालत में पारित किया जाय।

5. <u>**पीठों के द्वारा प्रार्थना–पत्रों पर सुनवाई की प्रकिया**</u>

- पीठों के द्वारा यथासम्भव सुनवाई हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 एवं परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 में वर्णित प्राविधानों का गहन अध्ययन एवं अनुपालन किया जायेगा।
- पीठों के द्वारा पर्याप्त संख्या में प्री–सिटिंग्स की तिथियाँ नियत करके, दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुलह समझौते से निस्तारण की प्रकिया की जायेगी।
- पीठों के द्वारा सुलह समझौते की प्रकिया में पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया जायेगा और यथाशीघ्र समझौते हेतु पक्षकारों पर कोई अनावश्यक दबाव नहीं डाला जायेगा।

6. <u>**पीठों के द्वारा सुलह समझौते के आधार पर पारित किये जाने वाले निर्णय/एवार्ड के संबंध में आवश्यक निर्देश**</u>

- पक्षों के द्वारा दाखिल सुलहनामे में ऐसी कोई शर्त अंकित नहीं होनी चाहिए जो अव्यवहारिक है और जिनका अनुपालन भविष्य में होना संदेहास्पद हो।
- सुलहनामें में अंकित शर्तें सुस्पष्ट, तर्कसंगत एवं विधि के प्राविधानों के अनुकूल होने पर ही निर्णय पारित किया जाये।
- दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत सुलहनामें की शर्तो का उल्लेख निर्णय में किया जाये और सुलहनामें को निर्णय का भाग बनाये जाने का उल्लेख किया जाये।

7. <u>**अभिलेखों का रख–रखाव एवं संरक्षण**</u>

- प्री–लिटिगेशन स्तर पर लोक अदालत में निस्तारित विवादों/मामलों से संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के नियम–22 (2) व (3) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। नियम–22 (2) यह प्राविधानित करती है कि एवार्ड की एक सत्यापित प्रति विनियम–17 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण/समिति के कार्यालय में स्थायी अभिलेख के रूप में संरक्षित की जायेगी। विनयम–22 (3) यह प्राविधानित करती है कि मूल प्री–लिटिगेशन लोक अदालत एवार्ड के अतिरिक्त अन्य सभी अभिलेखों को लोक अदालत की तिथि के तीन वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नष्ट किया जा सकता है।